न्यायालय : अपर सैशन न्यायाधीश, लालसोट जिला दौसा

पीठासीन न्यायाधीश : श्रीमती गीता पाठक, आरजेएस

दाण्डिक विविध (जमानत) प्रार्थना पत्र संख्या– 144/2026

CNR NO. – RJDS0D0004492026

ब्रजेश उर्फ बिज्जू सैनी पुत्र नैहनू उम्र 26 साल निवासी रिवाली वालो की ढागी रेल्वे लाईन के नीचे लालसोट थाना लालसोट जिला दौसा राज० ।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राज्य सरकार जरिए अपर लोक अभियोजक।

दांडिक विविध (जमानत) आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा–483 बीएनएसएस

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 227/2026

पुलिस थाना लालसोट जिला दौसा

धारा– 303 (2) बीएनएस

रेगूलर फौजदारी सं०– 1143/26

उपस्थितः–

1. श्री कृष्ण गोपाल गौत्तम, विद्वान अधिवक्ता– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।

2. श्री अशोक कुमार शर्मा, विद्वान अपर लोक अभियोजक– सरकार की ओर से।

आदेश दिनांक: 13–08–2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त बृजेश की ओर से यह जमानत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत 483 बीएनएसएस जरिये अधिवक्ता पेश हुआ, जिसकी नकल अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। मुलजिम की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 480 बीएनएसएस न्यायालय अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम सं० 1 लालसोट द्वारा दिनांक 31–07–2026 को खारिज किया गया है। अधिवक्ता अभियुक्त के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह प्रथम जमानत आवेदन पेश किया गया है, इससे पूर्व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय अथवा इस न्यायालय के समक्ष कोई जमानत आवेदन पेश नहीं किया गया और न ही लम्बित है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी सुमित शर्मा ने एक रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करवाई है कि ''प्रार्थी वंश ऑटो मोबाईल के नाम से लालसोट दुकान

करता है । प्रार्थी की दुकान के आगे तार जाली के बण्डल पडे हुये थे कि दिनांक 23–05–2026 की रात्री में बिज्जू सैनी ने 9 बण्डल तार जाली के चोरी करके बेच दिये । जिसे शर्मा पवित्र भोजनालय अशोक शर्मा रा०उ०मा०वि० के सामने लालसोट के मालिक लल्लू जी टोरडी व अमरनाथ पवित्र भोजनालय पर काम करने वाले लडके गोलू ने चोरी करते हुए देखा था .....आदि।"

3. उक्त रिपोर्ट पर एफआईआर 227/2026 पुलिस थाना लालसोट में दर्ज कर अनुसंधान किया एवं दौराने अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त की मामले में संलिप्तता पाये जाने पर अभियुक्त को गिरफ्तार कर संबंधित न्यायालय में पेश किया जो वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है।

4. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्त के ये तर्क हैं कि वह निर्दोष हैं, प्रार्थी/अभियुक्त का प्रकरण से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त को पुलिस ने गलत तरीके से लिप्त कर गिरफतार किया है। अभियुक्त को मिथ्या रूप से प्रकरण में आरोपित किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त श्रीमान के क्षेत्राधिकार का निवासी है। प्रार्थी/अभियुक्त को रंजिशवश फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 26.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने की प्रार्थना की गई।

5. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने इसका कड़ा विरोध करते हुए अभियुक्त के अपराध की गम्भीरता को देखते हुये जमानत प्रार्थनापत्र खारिज करने का निवेदन किया गया । प्रार्थी/अभियुक्त का आपराधिक रिकोर्ड निम्न है–

क्रम सं०	मुकदमा नम्बर	धारा	थाना	चार्जशीट नं०
1	143/24	16/54 एक्स० एक्ट	लालसोट	144/24
2	180/25	305 (ए), 331(4) बीएनएस	लालसोट	224/25

6. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा दर्ज करवाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त को दिनांक 26–05–2026 को गिरफ्तार किया है तथा अनुसंधान से अभियुक्त के विरूद्ध धारा 303(2) बीएनएस का अपराध प्रमाणित पाया गया है । अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है । हालांकि प्रार्थी अभियुक्त का पूर्व आपराधिक रिकोर्ड रहा है परंतु अभियुक्त दिनांक 26–05–2026 से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है । प्रकरण

मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है । प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। ऐसी दशा में प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर टिप्पणी किए बिना प्रार्थी अभियुक्त को इस शर्त सहित जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है कि वह ऐसी प्रकृति के या अन्य किसी अपराध की पुनरावृत्ती नहीं करेगा तथा विचारण न्यायालय के वहां पर प्रत्येक पेशी पर न्यायालय में उपस्थित होगा तथा साक्षियों को डरायेगा धमकायेगा नहीं ।

<u>आदेश</u>

7. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त ब्रजेश उर्फ बिज्जू सैनी पुत्र नैहनू उम्र 26 साल निवासी रिवाली वालो की ढागी रेल्वे लाईन के नीचे लालसोट थाना लालसोट जिला दौसा राज० की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार कर आदेश है कि प्रार्थी/अभियुक्त इस प्रकरण में अपनी नियमित उपस्थिति हेतु विद्वान विचारण न्यायालय की समाधानप्रद राशि की जमानत मुचलके पेश कर तस्दीक करा दे तथा वह अन्य किसी प्रकरण में वांछित न हो तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

8. आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि विद्वान विचारण न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित की जावे।

अपर सैशन न्यायाधीश
लालसोट जिला दौसा

9. आदेश आज दिनांक 13.08.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर सैशन न्यायाधीश
लालसोट जिला दौसा